

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डिक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2025/66

किरम मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना-पत्र	49/25	27/2/25		10/3/25 17/3/25 24/3/25

अनवान

श्री मंगीलाल पुत्र गोकुल

श्री सुमित्रा देवी पत्नी सीताराम

निवासी सहाराम जी कारिया

निवासी

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेषपोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री परवेज आत्म

श्री

उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राजस्थान

प्रकरण संख्या :- ११/२५

तारीख २७/२/२५

मांगीलाल भील पुत्र गोकल जी जाति भील उग्र वयस्क निवासी सदाराम जी का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज.

.....प्रार्थी

बनाम

१. सुमित्रा देवी पत्नी सीताराम जी धाकड जाति धाकड उग्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज.
२. नवलराम पुत्र नन्दा जी मीणा जाति मीणा उग्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज.

.....विपक्षीगण



अन्तर्गत धारा १११-११८ रा. लै. रे. एक्ट

आदेश

दिनांक २४/३/२५

प्रार्थनापत्र मांगीलाल भील पुत्र गोकल जी जाति भील उग्र वयस्क निवासी सदाराम जी का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज. ने जरिये अभिभाषक श्री परवेज आलम द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/ संयुक्त खाते मोजा तिखी पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द मे स्थित आराजी खसरा नम्बर १६२/२५ रकबा १.२९५०, आ.न. २४ रकबा ०.६८८०, आ.न. २५ रकबा ०.२४२८, कुल किता ३ रकबा २.२२५८ हैक्टयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हे अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र सालंगन है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे सालंगन जमाबन्दी संवत २०७६-२०७९ के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है पडौंसियों के विवाद करने बाबत् शपथपत्र सालंगन है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है भूअभिलेख निरिक्षक बिजौलियां खुर्द को पत्थरगढी बाबत् कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस वक्त मोजा प्रार्थीगण अदा करे।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १११-११८ रा. लै. रे. एक्ट स्वीकार किया जाकर मोजा तिखी पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द मे स्थित आराजी खसरा नम्बर १६२/२५ रकबा १.२९५०, आ.न. २४ रकबा ०.६८८०, आ.न. २५ रकबा ०.२४२८, कुल किता ३ रकबा २.२२५८ हैक्टयर भूमि बसामलात पडौंसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एंवम पत्थरगढी शुल्क राशि १००/- रुपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।
आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां
जिला भीलवाड़ा राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाडा राज.

संख्या :-

दर्ज तारीख - 27/2/25
फैसल तारीख

हसीलदार
जौलियां

विषय प्रकरण संख्या 49/25 पत्थरगढी बाबत

गंगीलाल भील पुत्र गोकल जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी सदाराम जी
का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा राज.

बनाम

.....प्रार्थी

- सुमित्रा देवी पत्नी सीताराम जी धाकड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी
बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा राज.
- नवलराम पुत्र नन्दा जी मीणा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा राज.

.....विपक्षीगण

उपरोक्त विषयान्तर्गत उनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है कि
जोजा तिखी पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द मे स्थित आराजी खसरा नम्बर
62/25 रकबा 1.2950, आ.न. 24 रकबा 0.6880, आ.न. 25 रकबा 0.2428,
कुल किता 3 रकबा 2.2258 हैक्टेयर भूमि की बसामलात पडोसियान के
पत्थरगढी की जावे मोकें पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया
जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा सक्षम न्यायालय मे वाद
प्रस्तुत करने हेतु सुचित करे। आदेश पत्थरगढी हेतु भूअभिलेख निरिक्षक
बिजौलियां खुर्द को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस वक्त
मोका प्रार्थीगण अदा करे पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एंवम पडोसियान
को सुचित करते हुए पत्थरगढी करे। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे
आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाडा